न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2015

आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या : 2015/00015

प्रार्थीः–

1. पुखाराम पुत्र बींजाराम
2. कालुराम पुत्र प्रतापराम जातिगण जाट
3. मांगीलाल पुत्र मोहनलाल जाति सैन
4. भूराराम पुत्र घीसाराम सेवदा
5. पुखराज पुत्र लाबूराम सेवदा
6. रामाराम पुत्र गिरधारी देवासी
7. मांगीलाल पुत्र भोपालराम
8. सोनाराम पुत्र भोपालराम
9. हड़मानराम पुत्र देवाराम
10. प्रतापराम पुत्र देवाराम जाति देवासी
11. हरिराम पुत्र बींजाराम जाति रणवा
12. पुखाराम पुत्र भीकाराम जाति देवासी
13. दीपाराम पुत्र भीकाराम जाति देवासी
14. ढ़गलाराम पुत्र भीकाराम जाति देवासी

निवासी नयागांव तहसील सोजत

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. चांदकंवर पत्नी बंशीधर जाति ब्राहम्ण निवासी नयागांव तहसील सोजत जिला पाली
2. तहसीलदार सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.11.2018

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 496 रकबा 0.9500 हैक्टेयर की भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त है, जिसमें प्रार्थीगण के मकान आदि बने हुए है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं होकर खसरा नम्बर 492 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना कब्जे की जांच किए एवं बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किए

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

खसरा नम्बर 496 रकबा 0.9500 हैक्टेयर की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी, जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण वर्षो पूर्व से काबिज है। चूंकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज थे, इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को खसरा नम्बर 492 का कब्जा सुपुर्द किया गया, जिस पर वह काबिज है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, जबकि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है, जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुआ आवंटन खारिज़ योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए आवंटन को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आवंटन हुई है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। इसी भूमि को लेकर प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, इस कारण पुनः उसी विवाद बिन्दु पर नहीं सुना जा सकता है। इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। जैर प्रार्थना पत्र विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन होने के पश्चात मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया है तथा मौके पर कब्जा काश्त होने एवं आवंटन शर्तो की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। हालांकि उक्त आवंटन विधि सम्मत एवं प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई त्रुटी रह गई हो तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात बिना काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रक्रिया अपनाए आवंटन के आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर प्रार्थना पत्र आदेश जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 834, आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1299, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 376, आर0आर0डी0 1987 पेज 235, आर0आर0डी0 1986 पेज 137, आर0आर0डी0 1996 पेज 500, डी0एन0जे0 (राज.) 1995 पेज 592, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 तथा आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1299 की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में धारित भूमि की जो सूचना दर्शाई है, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के पति के नाम कुल 1.36 हैक्टेयर भूमि दर्ज होना, जिसमें

अति० जिला कलेक्टर, पाली

से 0.68 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज होना जाहिर किया तथा ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 496 रकबा 0.95 हैक्टेयर की भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया। इससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आती थी। पटवारी हल्का द्वारा तस्दीक रिपोर्ट में कॉलम संख्या 6 अपूर्ण रखा है। इस पर आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया है। प्रार्थीगण का कथन है कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि को लेकर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजों द्वारा आवंटन/नियमन हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, ऐसे तथ्य भी रेकर्ड पर नही है तथा न ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। वर्ष 1989 में अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन किया जा चुका था एवं कब्जा भी सुपुर्द किये जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर गेर खातेदार इन्द्राज किया गया तथा आवंटन नियमों की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात सिलसिलेवार अन्तरित होकर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार दर्ज की गई। आर0आर0डी0 1986 पेज 137 में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उसे प्रदत्त किये गये है, जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जा सकेगा। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upen the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त

अति० जिला कलेक्टर, पाली

करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 26 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ किया जाता है तथा अप्रार्थी चांदकंवर पत्नी बंशीधर जाति ब्राहम्ण निवासी नयागांव को ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 496/2 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि का आवंटन दिनांक 26.06.1989 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय की प्रतिलिपी तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली